उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– /XX–4/2018–05(18)/2018
देहरादून : दिनांक 22 नवम्बर, 2018

आदेश

सिद्धदोष बंदी आनन्द सिंह (आयु 55 वर्ष) पुत्र टेकू सिंह उर्फ टेक चन्द, निवासी ग्राम–माहरा, थाना–गन्नौर, जिला–सोनीपत, हरियाणा को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–27/1993 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304बी में आजीवन कारावास व 498ए में 3 वर्ष कारावास व रू0 5,000/–का अर्थदण्ड एवं धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अपराध के लिये 05 वर्ष कारावास व रू0 15,000/–का अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया था। सिद्धदोष बन्दी आनन्द सिंह वर्तमान में जिला कारागार, हरिद्वार में कारावासित है, जिसके द्वारा दिनांकः 19.09.2018 तक अपरिहार/वास्तविक सजा 14 वर्ष 04 माह 05 दिन भोग ली गयी है।

सिद्धदोष बंदी आनन्द सिंह द्वारा कारित अपराध जघन्य श्रेणी एवं इसके सापेक्ष बंदी द्वारा भोगी गयी सजा को पर्याप्त न पाते हुये श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त सिद्धदोष बन्दी आनन्द सिंह पुत्र टेकू सिंह उर्फ टेक चन्द को शेष अवधि के लिए परिहार दिये जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं।

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव

संख्या–1725 (1)/XX–4/2018–5(18)/2018, तद्दिनांकः
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सचिव, श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3–पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4–महानिरीक्षक, कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5–मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून।
6–जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार, सोनीपत, हरियाणा।
7–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून/हरिद्वार, सोनीपत, हरियाणा।
8–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, देहरादून, सोनीपत, हरियाणा।
9–अधीक्षक, जिला कारागार, हरिद्वार।
10–अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल को शासन के पत्र संख्या–1539/XX–4/2018–5(18)/2018, दिनांक 28.09.2018 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि रिट याचिका (कि0) संख्या–1627/2018 आनन्द सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2018 के अनुपालन में वस्तुस्थिति से मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
11–नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त रिट याचिका में महाधिवक्ता कार्यालय से सम्पर्क कर अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
12–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव